2020, 1 एस.सी.आर. 105

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

आर. कार्तिक

(2015 की अपराधिक अपील संख्या 831) 21 जनवरी, 2020

एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे.जे.,

सेवा विधि-

सेवा से बर्खास्तगी - नौसेनिक बल के एक नाविक की- नाविक के खिलाफ कार्यवाही के अनुक्रम में- वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर आरोप लगाया गया कि नाविक ने उसके खिलाफ शारीरिक बल का इस्तेमाल किया-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन न्यायाधिकरण ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा को दण्ड स्वरूप उसके 75 दिनो के लिए निरोध में बदल दिया। राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील माना गया मामले के तथ्यों में, ट्रिब्यूनल के आदेश ने इस आधार पर बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया कि सज़ा कदाचार के लिए अनुपातहीन थी, ट्रिब्यूनल का यह कार्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय प्रतिस्थापित सजा में हस्तक्षेप करने में कोताही बरतेगा, जब तक कि ट्रिब्यूनल का आदेश मनमाना, अनुचित या मनमौजी न पाया जाए। वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध नहीं है। नौसेना अधिनियम,1957-एस. 45(ए)-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम,2007-एसएस 15(6)और 30

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना कि-

1.1 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 15 के संदर्भ में, न्यायाधिकरण कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा या उससे जुड़े या आकस्मिक किसी भी मामले के खिलाफ क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करता है। अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (6) ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार देती है जिसमें उक्त अधिनियम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 3 (एफ) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है और सजा में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है यदि सजा अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण पायी गयी है। पैरा (10), (110-डी-एफ), 105 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2020, 1 एस.सी.आर.

1.2 कमांडिंग ऑफिसर जो नाविक और वरिष्ठ अधिकारी के साथ खुले समुद्र में था, उसे नाविक के कदाचार की सीमा के बारे में पता था। तीनों गवाहों में से किसी ने भी नाविक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के संबंध में गवाही नहीं

दी है। वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्वयं को जांच पदाधिकारी अथवा कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया है। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि वरिष्ठ अधिकारी को नाविक के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है। हालाँकि, वरिष्ठ अधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन नाविक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह जवाब देगा और वरिष्ठ अधिकारी को मारेगा। नाविक के आचरण को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। (पैरा 9, 11 और 12), (110-डी, 111-ई-एफ),

1.3 ट्रिब्यूनल द्वारा बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, जिसमें पाया गया है कि लगाई गई सजा कदाचार के अनुपात में नहीं है। अधिनियम की धारा 30 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह न्यायालय प्रतिस्थापित सजा में हस्तक्षेप करने में कोताही बरतेगा, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश मनमाना, अनुचित या मनमौजी न पाया जाए। ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान अपील में स्पष्ट रूप से अवैध हस्तक्षेप नहीं है। (पैरा 13, 111-जी-एच; 112-ए),

2. हालाँकि, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी को दो महीने के भीतर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह वेतन निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभों की ैक् व्ॅ गणना का हकदार होगा। (पैरा 14),

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील 2015 की संख्या 831

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.02.2015 से ओ.ए. (अपील) 2014 का क्रमांक 45 और एम.ए. में आदेश दिनांक 20.03.2015, 2015 का क्रमांक 53, ओ.ए. (अपील) 2014 की संख्या 45। अनमोल चंदन, दीपक गोयल, अरविंद कुमार शर्मा, बी.वी. बलराम दास, मुकेश कुमार मरोरिया, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए-अशोक पाणिग्रही, सलाहकार। (ए.सी.), यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम आर. कार्तिक अनमोल तायल, एस. विनय रत्नाकर, नबाब सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए हेमन्त गुप्ता, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई द्वारा पारित आदेश को भारत संघ द्वारा चुनौती दी गयी हैं। उक्त आदेशों के तहत, प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने के समरी ट्रायल के 24 जुलाई, 2013 के फैसले को बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करके आंशिक रूप से संशोधित किया गया था, लेकिन इसे 75 दिनों की हिरासत की सजा और सजा के दूसरे भाग को बनाए रखने यानी उसके पहले अच्छे आचरण के लिये मिले उसके बिल्ले से उसकों वंचित करने के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

2. नाविक ने 31' जुलाई, 2008 को नौसेना सेवा में प्रवेश किया, जब वह लगभग 19 वर्ष का था और उसका जन्म 1 नवंबर, 1989 को हुआ था। वह आईएनएस घड़ियाल पर सवार था, जिसने 29 मई, 2013 को नौकायन शुरू किया था। वह लेखक था और वेतन कार्यालय में वेतन बिलों की तैयारी और वेतन के भुगतान तथा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उसको कर्तव्य सौंपे गए थे यही उसका कार्य था। 29 मई, 2013 को लगभग 10:00 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब लेफ्टिनेंट अभिषेक वर्धन ने एक शिकायत की जिसमें उन्होंने नाविक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया। शिकायत दिनांक 29 मई, 2013 इस प्रकार है-
"जहाज 29 मई 13 को लगभग 08:30 बजे बंदरगाह से रवाना हुआ। हम उड़ान स्टेशनों पर 10:00 बजे थे जब सीकिंग सी-560 को प्राप्त करने के लिए पाइप लगाया गया और एविएशन कोर टीम को हेलो डेक पर तैनात किया गया। जहाज का विमान अधिकारी होने के नाते, मैं हेलो डेक पर गया उड़ान के लिए डेक तैयार करें जब मैंने एविएशन कोर इकट्ठा किया टीम, कार्तिक, डब्ल्यूटीआर मुझे याद आया कि वह नहीं है तब मैंने ब्रिज को फोन किया और SSD OOW से उसके लिए घोषणा करने का अनुरोध किया। लगभग 15-20 मिनट के बाद और 2 और घोषणाओं के बाद कार्तिक, लेखक, आखिरकार हेलो डेक पर आ गया जब मैंने उनसे देरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एसएसडी के लिए बंद कर दिया है। जब मैंने उनसे कहा कि एविएशन कोर टीम तैयार है और उन्हें आना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम एविएशन कोर टीम में नहीं है और वह प्रसाद, जो कि कुक है के लिए स्टैंडबाय हैं।

द्वितीय. मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता था कि प्रसाद छुट्टी पर हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है। मैंने उससे दोबारा पूछा क्योंकि वह स्टैंडबाय था।

प्रसाद के लिए और उन्हें पता था कि वह छुट्टी पर हैं, उसे इसलिए बंद कर देना चाहिए था।

इस पर उन्होंने जवाब दिया कि चीफ राइटर ने उन्हें ऐसा बताया है कि जहाज पर केवल 2 लेखक हैं, वे कोई और कर्तव्य नहीं निभाएंगे। मैंने उससे कहा संक्षेप में, नाविक कहा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2020, 1 एस.सी.आर.
मुख्य लेखक को हेलो डेक पर ले आओ। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मुख्य लेखक जहाज पर नहीं हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। फिर मैंने उससे हेलो डेक पर बने रहने और एविएशन कोर टीम के सुरक्षित हो जाने के बाद एक बयान लिखने को कहा, जिसमें कहा गया था कि "वह हेलो हैंगर पर देर से आया क्योंकि मुख्य लेखक ने उसे कोई ड्यूटी नहीं करने के लिए कहा था।" इसके बाद वह और

अधिक आक्रामक हो गए और मुझ पर चिल्लाए कि "मैं कोई बयान नहीं लिखूंगा, मुख्य लेखक अस्पताल में भर्ती हैं।" मैंने उससे फिर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य लेखक जहाज पर है या नहीं, उसे फ्लाइंग स्टेशन के अंत में एक बयान लिखना होगा। वह अब ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहने लगा, "चीफ साहब भर्ती हैं।" इसके बाद मैंने अपना आपा खो दिया और उसे गालियां देते हुए जवाब में चिल्लाने लगा। फिर उसने मेरे बाएं गाल पर मुक्का मारा और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं उस पर और नहीं चिल्लाया या उसे छुआ भी नहीं, मैंने एक रेगुलेटिंग सेलर को बुलाया जो हेलो हैंगर में था और उससे कहा कि वह लेखक कार्तिक को ब्रिज में कार्यकारी अधिकारी के पास ले जाए। मैंने कार्यकारी अधिकारी को पूरी घटना बताई और EXO हमें कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए और मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद मुझे EXO द्वारा हेलो डेक पर जाने और एससी-560 की सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। मैंने खुद को संभाला और एससी-560 को पुनर्प्राप्त करने के लिए हेलो डेक पर गया। इसके बाद जब 14:00 बजे. एविएशन कोर टीम को हेलो डेक में फिर से जुटने के लिए कहा गया, कार्तिक, लेखक एक बार पुनः हेलो डेक पर नहीं आया। मैंने पीओए (एएच) गुप्ता से उनके लिए घोषणा करने को कहा और एससी-560 के ग्राउंड रन की देखरेख करने चला गया। ग्राउंड रन के बाद, मुझे पीओए (एएच) गुप्ता ने बताया कि कार्तिक, लेखक एविएशन कोर टीम के लिए दोबारा नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अपराध को किसी को स्वीकार करना चाहिए और नाविक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय नौसेना में इसी विश्वास के कारण मैंने नाविक पर पलटवार नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि सिस्टम में मेरा विश्वास बना रहेगा।

3. ऐसी शिकायत के आधार पर जांच की गई लेफ्टिनेंट कमांडर ईश्वर चंद्र द्वारा जांच अधिकारी के रूप् में जांच की गयी। आरोपी को 29 मई, 2013 को 16:00 बजे जांच अधिकारी के सामने लाया गया। गणेश कुमार तिवारी, तारा चंद नेहरा और विकास शर्मा से गवाह के रूप में पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने मामले को कार्यकारी अधिकारी को भेज दिया। कार्यकारी अधिकारी ने जांच की। 1' जून, 2013 को कार्यवाही हुई जिसमें उपरोक्त तीन गवाहों की फिर से जांच की गई। लेफ्टिनेंट विवेक राजपूत को बचाव अधिकारी के रूप में नाविक को प्रदान किया गया था। बचाव अधिकारी जेनिश जॉर्ज, लेफ्टिनेंट कमांडर, कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनसे जिरह नहीं की गई। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम आर कार्तिक के प्रकरण को संदर्भित किया गया।

(हेमंत गुप्ता, जे.,)

1 जून, 2013 को कमांडिंग ऑफिसर के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी के समक्ष जिन तीन गवाहों से पूछताछ की गई, उन्होंने आरोपित घटना से इनकार किया है। लेफ्टिनेंट अभिषेक वर्धन को न तो गवाह के रूप में उद्धृत किया गया और न ही जांच अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ की गई।

4. कमांडिंग ऑफिसर ने आरोपों को नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 45(ए) के तहत अपराध साबित पाया? और 60 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखने और प्रथम अच्छे आचरण बैज से वंचित करने की सिफारिश की गई। हालाँकि, नौसेना प्रमुख ने 19 जुलाई, 2013 को नाविक को नौसेना सेवा से बर्खास्त करने और प्रथम अच्छे आचरण बैज से वंचित करने का आदेश पारित किया। यह उक्त आदेश है जिसे नाविक ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक मूल आवेदन के माध्यम से चुनौती दी थी।

5. ट्रिब्यूनल ने पाया कि नाविक एविएशन कोर टीम का सदस्य था और वास्तविक ड्यूटी पर था। जब उसे बुलाया गया तो वह ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ। नाविक ने इस आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने की मांग की है कि उसे अपने मुख्य लेखक के आदेश के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने पाया कि अगस्त, 2012 में एक पिछली घटना के संबंध में सूरज प्रधान का बयान नाविक के समक्ष नहीं दिया गया था और उसे गवाह से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि नाविक द्वारा बल का प्रयोग पूर्व नियोजित या जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के रूप में उकसावे का परिणाम था। नाविक ने स्वीकार किया कि यह उकसावे की प्रतिवर्ती कार्रवाई थी और वह तुरंत शांत हो गया और स्वेच्छा से अपनी गलती स्वीकार कर ली। अधिकारी ने स्थिति को खराब तरीके से संभाला है और अधीनस्थों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग एक अधिकारी का अशोभनीय कार्य है। यह भी पाया गया कि लेफ्टिनेंट अभिषेक वर्धन को अधिनियम की धारा 74 के तहत अभद्र/अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का दोषी पाया गया और उन्हें वरिष्ठता के एक महीने के नुकसान की सजा दी गई। ट्रिब्यूनल ने धारित किया कि-

16. ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य अनुक्रम में अधिकारी को दी गई सज़ा हल्की थी और, इसलिए, विकट परिस्थितियों को देखते हुए जिस समय पूरा प्रकरण घटित हुआ, तो शमन के लिए आवेदक की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए था।

17. उपरोक्त के आलोक में, हम निष्कर्ष स्वरूप इस राय पर सहमत हैं कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा आवेदक के छोटे कृत्य के लिए उसको सेवा से बर्खास्तगी की जो सजा दी गयी है वह अनुपातहीन और अत्यधिक है।
सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2020, 1 एस.सी.आर.

6. नाविक की बर्खास्तगी की सजा के स्थान पर जो उसको 75 दिनों की हिरासत की सजा दी गयी थी उसको वह भुगत चुका है।

7. ट्रिब्यूनल द्वारा यह आदेश भी किया गया था कि "उसके अच्छे आचरण के प्रथम बैज से उसे वंचित कर दिया जाए" नाविक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस आदेश से व्यथित नहीं है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि नाविक की स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को मारा है, इसलिए, वह अधिनियम की धारा 45 (ए) के तहत अपराध का दोषी है।

9. हमने पाया कि तीनों गवाहों में से किसी ने भी नाविक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को मारने के संबंध में गवाही नहीं दी है। वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट अभिषेक वर्धन से न तो जांच अधिकारी और न ही कार्यकारी अधिकारी के समक्ष पूछताछ की गई और न ही उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कार्यवाही में जिरह के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि वरिष्ठ अधिकारी को नाविक के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है।

10. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 15 के अनुसार, न्यायाधिकरण कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा या उससे जुड़े या प्रासंगिक किसी भी मामले के खिलाफ क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करता है। एएफटी अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (6) ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार देती है जिसमें उक्त अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है सजा अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण पाई गई है। (एएफटी अधिनियम की धारा 3 (एफ) देखें) तो हस्तक्षेप करने का भी अधिकार देती है। एएफटी अधिनियम की धारा 15(6) इस प्रकार है-

"15 (6) पूर्वगामी में किसी भी बात के बावजूद इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, ट्रिब्यूनल के पास यह शक्ति होगी-

(ए) कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों के स्थान पर, एक अलग निष्कर्ष किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए अपराधी दोषी हो सकता है ट्रिब्यूनल दे सकता है। यदि कोर्ट मार्शल में कानूनी रूप से एक अपराध के लिये किसी को दोषी पाया गया तो ट्रिब्यूनल अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराने की शक्ति रखता है और अन्य सजा भी देने की शक्ति रखता है। जैसा कि सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), में प्रावधान है। जैसा कि इस प्रकरण में लिया गया है।

हेमंत गुप्ता, जे.,

(बी) यदि सजा अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण पाई जाती है,तो न्यायाधिकरण -

(1) सजा के पूरे या किसी भाग को शर्तों के सहित या उसके बिना कम कर सकता है, माफ कर सकता है।

(2) दी गई सज़ा को कम करना;

(3) ऐसी सज़ा को सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1957 का 45) 1950), जैसा भी मामला हो में उल्लिखित दंड कि किसी छोटी सज़ा में बदल देना,

(सी) कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को बढ़ा सकता है- बशर्ते ऐसी किसी भी सज़ा को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

(डी) यदि अपीलकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई है, तो शर्तो के सहित या रहित पैरोल पर रिहा करने का आदेश दे सकता हैं।

(ई) कारावास की सजा को निलंबित करना;

(एफ) कोई अन्य आदेश पारित करें जैसा वह उचित समझे।

11. हमने पाया कि कमांडिंग ऑफिसर जो नाविक और वरिष्ठ अधिकारी के साथ खुले समुद्र में था, उसे नाविक के कदाचार की सीमा के बारे में पता था। तीनों गवाहों में से किसी ने भी नाविक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के संबंध में गवाही नहीं दी है। वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्वयं को जांच पदाधिकारी अथवा कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया है.

12. हालाँकि, वरिष्ठ अधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन नाविक से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह जवाब देगा और वरिष्ठ अधिकारी को मारेगा। नाविक के आचरण को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता।

13. एएफटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ट्रिब्यूनल नाविक को बर्खास्त करने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने और दी गई सजा को प्रतिस्थापित करने और/या कम करने में सक्षम है। इसलिए, बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, जिसमें पाया गया है कि दी गई सजा कदाचार के अनुपात में नहीं है। एएफटी अधिनियम की धारा 30 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह न्यायालय प्रतिस्थापित सजा में हस्तक्षेप करने में रूची नहीं रखेगा, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश मनमाना, अनुचित या मनमौजी न पाया जाए। हमने पाया कि ट्रिब्यूनल द्वारा कोई अवैध कृत्य इस प्रकरण में नहीं किया है। अतएव प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

14. हालाँकि, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी को दो महीने के भीतर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक वह किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह वेतन निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभों की गणना का हकदार होगा।

अपील खारिज की जाती है।

द्वारा अनुवादित।

(ब्रिजेश कुमार-द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0-1607